# FORM NO. III (प्रारूप संख्या–3)

## फर्द अहकाम

### (नियम 26)

अज अदालत ......अति. जिला कलक्टर...... मुकाम ......नीमकाथाना......

......इन्दु कुमार...... बनाम ......प्रहलाद......

किस्म मुकदमा ......अपील...... नम्बर ......213...... वर्ष ......2021......

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/5/22 | पत्रावली पेश हुई। बहुलाप उप०। वकील अपीलान्ट ने दस्तावेज की सूचि के साथ दस्तावेज पेश किये गये जो शामिल किए गए। बहस बहुलाप उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट के पिता व रेस्पो० सं. 1 ता 6 के सबसे बड़े भाई थे। अपीलान्ट के पिता जयनारायण का देहान्त दिनांक 23-7-1983 को हो गया था। मृतक जयनारायण का एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी अपीलान्ट है। रेस्पो० 1 ता 6 के पिता व अपीलान्ट के दादा बिरदुराम पुत्र धन्नीराम की मृत्यु 1992 में हो गई थी। बिरदुराम के विरासत का नामान्तकरण सं. 598 दिनांक 28-8-92 को रेस्पो० 1 ता 6 ने अपने पक्ष में अवैध रूप से भरवा लिया। नामा० भरते समय वारिसान की जाँच सही रूप से नहीं की गई। जबकि नामा० अपीलान्ट व रेस्पो० 1 ता 6 के नाम भरना चाहिए था। यह नामा० अवैध रूप से भरा गया है जो निरस्तनीय है। नामा० की सारी कार्यवाही गोपनीय तरीके से की गई है परन्तु अब रेस्पो० 1 ता 6 ने यह [illegible] अपीलान्ट का नाम भी नामान्तकरण में [illegible] दर्ज किया जाना [illegible] नामा० सं 598 दि० 28-8-1992 [illegible] को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का नाम नामा० में दर्ज करते हुए पुन: नामा० भरा जावे।<br>वकील रेस्पो० ने बताया कि अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण मे सहपन | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:37:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट ... नीमकाथाना

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख आदेश जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | से छूट गया था जो अब अपीलान्ट का नाम नामा॰ में दर्ज किया जाता है तो हम रेस्पो॰ 1 ता 6 को कोई आपत्ति नहीं है। इस बाबत रेस्पो॰ ने लिखित मे एक प्रार्थना पत्र पेश किया है।<br><br>उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व नामा॰ का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट का रिकार्ड में नाम अंकित नही है। जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि मृतक जयनारायण का एक मात्र वारिस अपीलान्ट है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु नामा॰ सं 598 भरा गया उससे पूर्व हो चुकी थी। परन्तु जब यह नामान्तरकरण भरा गया तब पिता की जगह अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था जो नही किया गया। इससे यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वारिसान की जाँच सही नही की गई। अपीलान्ट जो मृतक जयनारायण का एक मात्र वारिस / उत्तराधिकारी है इस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 26.5.22 पेश किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में विरधुराम पुत्र धड्सीराम का वारिसनामा पेश किया है। उस शपथ पत्र पर सभी रेस्पो॰ द्वारा नामान्तरण मे नाम ~~जोड़~~ अपीलान्ट का जोडने हेतु सहमति जताई है। अपीलान्ट जो मृतक जयनारायण का पुत्र है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अपना आधार कार्ड व चुनाव आयोग का पहचान पत्र पेश किया है। रेस्पो॰ 1 ता 6 द्वारा [illegible] रिकार्ड मे व नामा॰ में अपी[illegible] बाबत सहमति दी है। [illegible] स्वीकार किया है कि अपीलान्ट का नाम [illegible]डने मे हमे कोई आपत्ति नही है। इन सभी तथ्यो से व रेस्पो॰ द्वारा दी गई सहमति से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को बल मिलता है एवं अपील में अंकित तथ्यो की पुष्टि होती है। | 27/01/21<br>17/3/21<br>29/5/21 |

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट ● नीमकाथाना (सीकर) ●

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:37:19 IST
Reason: SelfAttested

# FORM NO. III (प्रारूप संख्या–3)

## फर्द अहकाम

### (नियम 26)

अज अदालत.......................................................... मुकाम..........................................................

.......................................................... बनाम..........................................................

किस्म मुकदमा.......................................................... नम्बर.......................................... वर्ष......................

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा नामान्तकरणं सं 598 आदेश दिनांक 28-8-1992 तन ग्राम पाटन तहसील नीमकाथाना अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि बिरदुराम पुत्र घड़सीराम के विधिक वारिसान की सही रूप से जाँच कर पुनः नामान्तकरण भरकर फैसल करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(अनिल कुमार)<br>(अनिल कुमार)<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट<br>नीमकाथाना (सीकर)<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Anil Kumar<br>Date: 2023.10.18 10:37:19 IST<br>Reason: SelfAttested | |